कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल-462008)

क्रमांक 2965/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर 2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक
3. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषय:- मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के लिये कार्यवाही बाबत्।

--00--

यह पाया गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी राजस्व अभिलेखों/दस्तावेजों/ पहचान पत्रों आदि के आधार पर दस्तावेजों का पंजीयन करा लिया जाता है, जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 82 के अनुसार मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादों को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध, अभियोजन की कार्यवाही धारा 83 के तहत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से अनिम्न न्यायालय में संबंधित रजिस्ट्रार या सब रजिरट्रार द्वारा अभियोजन पत्र दाखिल कर की जा सकती है।

3. अतः जब भी किसी प्रकरण में फर्जी राजस्व अभिलेखों/दस्तावेजों/ पहचान पत्रों आदि के आधार पर दस्तावजों का पजीयन कराया जाना ध्यान में आता है, तो अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 82 एवं 83 के तहत भी संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, तथा ऐसे प्रकरणों की जानकारी जिला पंजीयक द्वारा प्रतिमाह मासिक अर्द्धशासकीय पत्र में भेजी जावे।

Dipali Rastogi
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2965/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर 2012

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यक कर विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश